


राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प.8(ग)()वि.स./डीएलबी/2024/5828

दिनांक: 2/4/24

—:आदेश :-

श्री आलोक गोयल, अधिवक्ता (रजिस्ट्रेशन नं. R/217/1999) को आर.यू.आई. डी.पी. के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित न्यायिक प्रकरणों के संबंध में राज्य सरकार की ओर से विधिक सलाहकार एतद्वारा नियुक्त किया जाता है। इनके मानदेय का भुगतान आर.यू.आई.डी.पी. से देय होगा।


(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()वि.स./डीएलबी/2024/5829-35

दिनांक 2/4/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. निर्जा सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. श्री आलोक गोयल, अधिवक्ता मार्फत आर.यू.आई.डी.पी. को भेजकर लेख है कि आवश्यक दस्तावेज की प्रति विभाग में उपलब्ध करावे।
6. प्रोग्रामर आई.टी.सेल. निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी